कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्था/ 2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती सुमन बाला शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुर्जा, उमरैण जिला अलवर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मिलकपुर तुर्क जिला अलवर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती सुमन बाला शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी. स्पेशल अपील याचिका संख्या 1727/2019 (अन्तर्गत एस.बी. सिविल याचिका सं 18632/2019) सुमन बाला शर्मा बनाम निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 1727/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2019 द्वारा सुमन बाला शर्मा को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बंन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार, याचिकार्थी के पति की मानसिक रूग्णता को मद्देनजर रखते हुए एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने पारिवारिक कारणों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डहरा, उमरैण जिला अलवर में प्रधानाचार्य के दिनांकः 31.03.2020 को रिक्त होने वाले पद पर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी को अलवर जिले में ही पदस्थापित किया गया है, किसी अन्य जिले में नहीं। गृह जिले में पदस्थापित रहते हुए भी इच्छित स्थान पर पदस्थापन की याचिकार्थी की मांग न्यायोचित नहीं है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। याचिकार्थी राज्य सेवा की अधिकारी हैं और उन्हें राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह अपने अधीन राज्य सेवा के कार्मिक को कब व कहां पदस्थापित करे।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी श्रीमती सुमन बाला शर्मा द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बंधित सूचित हो।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/डी.बी अपील/सुमनबाला/1727/2019 दिनांकः 20.01.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक अलवर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, तिजारा जिला अलवर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती सुमन बाला शर्मा, प्रधानाचार्य, राउमावि मिलकपुर तुर्क, तिजारा, अलवर।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)